ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-9* October- 2021
Innovation The Research Concept

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा एवं समाज की भूमिका

Role of Education and Society in Women Empowerment

Paper Submission: 15/10/2021, Date of Acceptance: 24/10/2021, Date of Publication: 25/10//2021

बन्दना सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर,
शिक्षा संकाय,
राठ महाविद्यालय, पैठाणी,
पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड,
भारत

किसी भी समाज व राष्ट्र की वास्तविक स्थिति जानने के लिए उस समाज में रह रही महिलाओं की स्थिति को जानना बेहद जरुरी है, जैसे— महिलाओं की शैक्षिक स्थिति क्या है ? उनकी मूलभूत संसाधनों तक पहुंच कितनी है ? उनको परिवार और समाज में क्या क्या अधिकार प्राप्त है ? तथा पारिवारिक , सामाजिक, राजनैतिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी सहभागिता कितनी है ? वर्तमान समय में विश्व के जो भी राष्ट्र समृद्ध, संपन्न, विकसित व शक्तिशाली है, वे सभी अपने देश की महिलाओं को एक समान अधिकार व सम्मान प्रदान करके तथा महिला व पुरुष की बराबर सहभागिता के कारण ही तरक्की कर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो पाए हैं ।

To know the real status of any society and nation, it is very important to know the status of women living in that society, such as- what is the educational status of women? How much do they have access to basic resources? What rights do they have in family and society? And how much is their participation in the process of family, social and political decision making? And how much is their participation in the process of family, social and political decision making? At present, all the nations of the world that are prosperous, prosperous, developed and powerful, they all join the category of developed nation by providing equal rights and respect to the women of their country and progressing due to equal participation of women and men. have found.

मुख्य शब्द : महिला शिक्षा सशक्तिकरण समाज राष्ट्र ।
Keywords: Women Education Empowerment Society Nation.

प्रस्तावना

हमारे भी देश की महिलाओं की क्षमता व योग्यता किसी भी विकसित देश की महिलाओं से कम नहीं है, अंतर केवल इतना है कि विकसित देशों में महिलाओं को पुरुषों के समान लगभग सभी क्षेत्रों में समान अधिकार व अवसर प्राप्त है, जबकि हमारे देश में महिलाओं को संविधान में सैद्धांतिक रूप से सभी अधिकार समान रूप से प्राप्त है, लेकिन व्यवहारिक रूप में महिलाओं के सामने समान अधिकार व अवसरों की कमी है और साथ ही अनेक सामाजिक बाधाएं उनके विकास में बाधक भी। अतः महिलाओं को न केवल सैद्धांतिक बल्कि व्यवहारिक रुप से भी समान अधिकार व अवसर मिलने चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। किसी भी समाज व राष्ट्र के विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि विश्व की आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं की भागीदारी को नजरअंदाज करके कोई भी समाज व राष्ट्र समृद्ध, संपन्न, विकसित व शक्तिशाली नहीं हो सकता। विकसित समाज व राष्ट्र के निर्माण में महिला व पुरुष दोनों की सहभागिता अति आवश्यक है और इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए परिवार की केंद्र बिंदु महिला को सशक्त होना बेहद जरूरी है । महिलाओं को सशक्त होने के लिए जरूरी है शिक्षा , क्योंकि शिक्षा जीवन में प्रगति करने का एक शक्तिशाली साधन है । महिलाओं के उत्थान व सशक्तिकरण के लिए शिक्षा से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? अतः महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है।

महिला शिक्षा के महत्व को बताते हुए राधाकृष्णन आयोग ने कहा था– "महिलाओं के शिक्षित हुए बिना किसी भी समाज के लोग शिक्षित नहीं हो सकते। यदि सामान्य शिक्षा महिलाओं एवं पुरुषों में से किसी एक को देने की विवशता हो तो यह अवसर निसंदेह महिलाओं को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह शिक्षा निश्चित रूप से उनके द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंच जाएगी।"

महिला शिक्षा के संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा था–"जब हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो नकेवल दो परिवार बल्कि दो पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं।"

अतः महिला शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। शिक्षा के द्वारा महिलाओं में विभिन्न प्रकार की योग्यताएं जैसे– क्षमता, दक्षता, कुशलता, ज्ञान,

जागरूकता, उत्तरदायित्व की भावना तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व आदि का विकास किया जा सकता है। शिक्षित महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर होकर ना केवल स्वयं लाभान्वित होंगी बल्कि उनसे भावी पीढ़ी भी लाभान्वित होगी क्योंकि संतान की प्रथम गुरु मां होती है और मां अगर शिक्षित है तो वह अपने बच्चे को भी शिक्षित सशक्त करके उनमें ऐसा दृढ़ व सकारात्मक सोच विकसित कर नई पीढ़ी के रूप में तैयार कर सकेगी जो अपने साथ-साथ परिवार, समाज व राष्ट्र को भी नई दिशा दे सकेंगे क्योंकि बच्चे सबसे अधिक मां के संपर्क में रहते हैं इसलिए मां के संस्कार, व्यवहार व शिक्षा का प्रभाव बच्चे के मन मस्तिष्क पर सबसे अधिक पड़ता है। शिक्षित मां ही बच्चों के कोमल व उर्वर मन मस्तिष्क में सभी संस्कारों के बीज बो सकती है, जो समाज व राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है।

विश्व शिक्षा रिपोर्ट 1995 में स्पष्ट किया गया है कि–"दुनिया के निर्धन देशों में महिलाएं एवं बालिकाएं घर के चारदीवारी में बंद है। अशिक्षित मां अशिक्षित बालिकाओं को जन्म देती हैं और उनकी शादी कम उम्र में करा दी जाती है। इससे गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि तथा शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का एक अनंत चक्र प्रारंभ होता है।"

महिलाओं के उत्थान के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है क्योंकि शिक्षा ही वह उपकरण है जिसके माध्यम से महिलाएं सशक्त, जागरूक, आत्म निर्भर तथा अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सचेत हो पाएंगी। महिला शिक्षा से घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार आदि जैसी घटनाओं को भी रोकने में सहायता मिलेगी क्योंकि शिक्षा के द्वारा जागरूक होकर महिलाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के प्रति आवाज उठा सकेंगी तथा अपने हित के लिए बनाए गए अधिकारों व कानूनों का सही उपयोग भी कर सकेंगी, साथ ही अपने जीवन व भविष्य से जुड़े निर्णय भी स्वयं लेने में सक्षम हो पाएंगी । निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण मानक है। शिक्षा व निर्णय लेने की क्षमता का धनात्मक सहसंबंध होता है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन की मजबूत आधारशिला तैयार करती है और अगर हम महिला शिक्षा की बात करें तो यह एक महिला को अबला एवं असहाय से सबला एवं सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षित महिलाएं सशक्तिकरण की ओर अपना कदम आसानी से आगे बढ़ा सकती हैं । अटल बिहारी वाजपेई की सरकार द्वारा वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया था । महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि महिलाओं में अंतर्निहित उन समस्त विशेषताओं एवंप्रतिभाओं को विकसित करना ,जिनको व्यवहार में लाकर वह स्वयं के साथ-साथ समाज व राष्ट्र के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सके और यह कार्य केवल शिक्षा द्वारा ही संभव है।

स्वतंत्रता के पश्चात केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। महिला शिक्षा पर जोर दिया गया है जिससे उनमें जागृति आई है, आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है, सशक्त हुई है, तथा आत्मनिर्भर हुई है फलस्वरूप वे निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं । महिलाएं जीवन के किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से ना ही पीछे हैं और ना ही कमजोर। वर्तमान समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपना परचम न लहराया हो। शिक्षा, खेल, राजनीति, प्रशासन, चिकित्सा, पत्रकारिता, अंतरिक्ष, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। एक ओर जहां यह परिदृश्य आनंददायक व उत्साहवर्धक है वहीं दूसरी ओर हमारे भारतीय समाज का एक दूसरा परिदृश्य भी है जहां आजादी के 75 साल बाद भी भारतीय समाज में खास करके ग्रामीण समाज में आज भी महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कभी परंपरा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी परिवार की इज्जत के नाम पर, तो कभी रीति रिवाज के नाम पर अपने ही परिवार व समाज में दोयम दर्जे की नागरिक बनकर रहती है और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करने वाली प्रथाओं का शिकार बनती रहती है, जहां जिंदगी तो उसकी है, जीना भी उसी को है लेकिन हमेशा दूसरों के हिसाब से। अपने जीवन से जुड़े फैसले भी वह स्वयं नहीं ले सकती।

महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए संविधान के 73वें संशोधन– 1992 में महिलाओं को पंचायतों में एक तिहाई (33%) आरक्षण दिया गया। वर्तमान समय में इस आरक्षण को बढ़ाकर कई राज्यों ने 50% कर दिया है लेकिन इसका भी महिला सशक्तिकरण में कोई विशेष लाभ नहीं हो पा रहा है क्योंकि ग्राम पंचायत का चुनाव जीतकर महिला ग्राम प्रधान तो बन जाती है लेकिन नाम मात्र के लिए क्योंकि महिला प्रधान की जगह पंचायत का नेतृत्व घर के पुरुषों द्वारा अर्थात पति, ससुर, देवर तथा बेटा द्वारा किया जाता है । महिला प्रधानसिर्फ पुरुषों के हाथों की कठपुतली बन कर रह जाती है उसका काम मात्र हस्ताक्षर करना होता है। कहीं-कहीं पर गांव के दबंग पुरुषों द्वारा महिला प्रधान का शोषण भी किया जाता है।

हमारे देश में महिलाओं की दयनीय स्थिति का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुस्लिम समाज में पुरुषों द्वारा अपनी पत्नी को तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कह देने पर पति पत्नी का कई वर्षों का सारा संबंध खत्म हो जाता है, हालांकि ट्रिपल तलाक कानून बन जाने के बाद इस तरह की घटनाओं पर रोक लगी है लेकिन अभी भी आदत से मजबूर पति तीन तलाक का गलत उपयोग कर संबंध खत्म करने से बाज नहीं आ रहे हैं।

हमारे देश में महिला सशक्तिकरण अभी भी एक चुनौती बना हुआ है खास करके ग्रामीण समाज में जहां आज भी अधिकांश महिलाएं और बेटियां पढ़ी-लिखी नहीं है या कम पढ़ी लिखी है या फिर पढ़ी-लिखी होने के बावजूद भी अपने अधिकारों से वंचित है। आज भी देश की अधिकांश महिलाओं की शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक क्षेत्र तक पहुंच बहुत कम है। भारतीय समाज में हर रोज ना जाने कितनी महिलाएं हिंसा का शिकार हो रही है जो कि पुरुष प्रधान समाज की महिलाओं के प्रति विकृत मानसिकता को दर्शाता है। देश में महिलाओं की दयनीय स्थिति के पीछे दो मुख्य कारण हैं– पहला पुरुष प्रधान समाज और दूसरा महिला शिक्षा का अभाव।आजादी के 7 दशक बाद भी जिस तरह हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण, रोजगार व नगरीकरण के क्षेत्र में वृद्धि होने के साथ ही समाज में सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना विकसित हो रही है उसके सापेक्ष महिलाओं की स्थिति उतनी संतोषप्रद नहीं दिखाई देती | हालांकि कुछ दशकों में हमारे देश में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार आया है लेकिन फिर भी साक्षरता का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कम ही है । अंतिम जनगणना 2011 के आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14 है जबकि महिला साक्षरता दर 65.46 है तो वही अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो यहां भी हमें और असमानता ही देखने को मिलती है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में1000 पुरुषों पर सिर्फ 943 महिलाएं हैं जोकि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लिंग अनुपात में असमानता का मुख्य कारण है कन्या भ्रूण हत्या जो कि एक जघन्य अपराध होने के साथ-साथ देश के लिए बहुत बड़ी समस्या भी है। लिंगानुपात की इस समस्या से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा कन्या भ्रूण हत्या को पूरी तरह से रोकना होगा और इस कार्य में समाज, सरकार एवं महिला शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।

आज समय की मांग है कि देश की प्रत्येक महिला शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर हो, रचनात्मक सोच के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएं, तथा अपने विश्वास को दृढ़ एवं मजबूत करें । देश की केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा यह निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि देश की प्रत्येक महिला को शिक्षित, सशक्त व आत्मनिर्भर बनाया जाए क्योंकि सरकार को पता है कि देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को नजरअंदाज करके विकास असंभव है। इसलिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के हित एवं बेहतर भविष्य के लिए नित नई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

महिलाओं और बेटियों के हितार्थ कुछ प्रमुख योजनाओं के नाम

1. महिला शक्ति केंद्र योजना— 2017
2. लाड़ली लक्ष्मी योजना— 2015
3. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ— 2015
4. भाग्यश्री योजना– 2015
5. धन लक्ष्मी योजना— 2008
6. सुकन्या समृद्धि योजना— 2014
7. नंदा देवी कन्या धन योजना— 2017
8. बालिका समृद्धि योजना— 1997
9. मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना— 2007
10. मुख्यमंत्री राजश्री योजना— 2016
11. महिला समाख्या कार्यक्रम— 1989
12. महिला शक्ति केंद्र योजना— 2017
13. सशक्तिकरण योजना— 1998
14. महिला प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम— 1987
15. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना— 1999
16. साक्षर भारत मिशन— 2009

अतः केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा इतने अधिक प्रयासों के बावजूद वर्तमान समय में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है इसका मुख्य कारण है सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ सत प्रतिशत महिलाओं तक न पहुंचना। उच्चतम न्यायालय का मानना है कि महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण तभी होगा जबकि वे उन्हें प्राप्त अधिकारों का लाभ

उठा पाए और साथ ही आर्थिक रूप से सशक्त हो। महिला सशक्तिकरण जो कि हमारे केंद्र व राज्य सरकारों का सपना है, सिर्फ कागजों व फाइलों में नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से धरातल पर भी होनी चाहिए ।

समाज व राष्ट्र अगर वास्तव में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर करना चाहते हैं तो मात्र किसी नीति, योजना और नित नए कार्यक्रमों के आयोजन से कुछ नहीं होगा बल्कि इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों की पहल के साथ-साथ पारिवारिक एवं सामाजिक पहल भी अत्यंत आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सभी को हृदय से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है साथ ही आवश्यकता है पुरुष प्रधान समाज को महिलाओं के प्रति अपने पूर्वाग्रहों से बाहर निकलने की और अपनी सोच व नजरिए को बदलने की। हमारे देश को स्वतंत्र हुए साढ़े सात दशक हो गए हैं लेकिन सही मायने में हम तभी स्वतंत्र होंगे जब पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार, सम्मान व इज्जत देंगे जिसकी वो अधिकारिणी है तभी एक सुंदर, स्वस्थ , विकसित व शक्तिशाली समाज व राष्ट्र का निर्माण संभव हो पाएगा तथा हमारा समाज व राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर तीव्र गति से अग्रसर हो पाएगा।

वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कहा था–"देश की तरक्की के लिए पहले हमें भारत की महिलाओं को सशक्त करना होगा।"

अध्ययन का उद्देश्य

1. महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता तथा महत्व का विश्लेषण करना
2. स्वतंत्रता के पश्चात महिला सशक्तिकरण से संबंधित केंद्र व राज्य सरकारों की उपलब्धियों एवं कमियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना
3. वर्तमान समय में महिलाओं एवं बेटियों के हितार्थ केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का विवेचन करना
4. महिलाएं शिक्षित और सशक्त होकर अपने कर्तव्य एवं अधिकार के प्रति सचेत हो सके
5. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सुंदर स्वस्थ एवं संतुलित वातावरण तैयार करने में सहायता करना जिससे उनमें आत्मविश्वास एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता के भाव जागृत हो सके

निष्कर्ष

अंततः अब समय आ गया है कि अगर वास्तव में देश को समृद्ध, संपन्न, सशक्त व शक्तिशाली बनाना है और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है तो देश की प्रत्येक महिला को शिक्षित, सशक्त व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ना हमारी केंद्र व राज्य सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए साथ ही परिवार व समाज के लोगों को भी महिलाओं व बेटियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक करना होगा और महिलाओं और बेटियों कोशिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर होने में उनका सहयोग करना होगा तभी हमारे केंद्र सरकार का –"सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास"का सपना साकार हो पाएगा तथा हम समाज व राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं क्योंकि शिक्षित और सशक्त महिला के कंधे पर ही संतुलित, स्वस्थ और विकसित परिवार, समाज व राष्ट्र की नींव रख सकते हैं।

"महिला, वो शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है, न ज्यादा में, न कम में, वो सब में, बराबर की अधिकारी है |"

श्रीनरेंद्रमोदी

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *जनसत्ता 1 नवंबर 2019*
2. *व्यास डॉ मीनाक्षी, नारी चेतना और सामाजिक विधान, रोशनी पब्लिकेशन्स, कानपुर 2008 पृष्ठ 78*
3. *पाठक कादम्बिरी, प्रगति के लिए आवश्यक नारी स्वतंत्रता, समाचारपत्र, हिंदुस्तान, 27 जुलाई 2004*
4. *पांडेय रामसकल व करुणा शंकर मिश्र, भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएं, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा*
5. *द्विवेदी आयेन्दु, महिला सशक्तिकरण की उपादेयता, संपादकीय लेख, समाचार पत्र, आज 2 जुलाई 2004*
6. *मकोल नीलम, शर्मा संदीप, सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान, कुरुक्षेत्र, सितंबर 2006 पृष्ठ 53*